संख्या- 8 /2026/163/002-78-01099-55-2022

प्रेषक,

नेहा जैन,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,

कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः ~~10~~ 11-02-2026

विषयः- उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) के अन्तर्गत पात्र स्टार्टअप इकाइयों को संवितरित सीड कैपिटल/विपणन सहायता की कॉर्पस फण्ड को प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रु 297.87 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2025-26), दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) के अन्तर्गत पात्र स्टार्टअप इकाइयों को संवितरित सीड कैपिटल/विपणन सहायता (Marketing Assistance) की कॉर्पस फण्ड को प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्ष "2852-उद्योग- 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-17-उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्टअप नीति का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी" मद में उपलब्ध प्राविधान रु 6000.00 लाख में संभावित बचत के दृष्टिगत उक्त प्राविधान में से रु 297.87 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से राजस्व लेखाशीर्ष "2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-14-उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 का कार्यान्वयन-27- सब्सिडी मद में संक्रमण करते हुए संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र(प्रति संलग्न) में उल्लिखित धनराशि रू0 297.87 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-

16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(7) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(8) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ, नीति/योजना के अनुसार इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

(10) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ उत्तरदायी होगा।

(11) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,97,87,000 (रुपये दो करोड़ सतानबे लाख सतासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या

007 लेखा शीर्षक 2852072021700 उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by Neha Jain
Date: 10-02-2026 19:16:57

भवदीया,
(नेहा जैन)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- उप निदेशक,वित्त मंत्रालय,प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग,भारत सरकार,नई दिल्ली।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4, उ0प्र0, शासन।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
13- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन,
विशेष सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A078-20252026-78-01099-55-2022

विषय:- उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) के अन्तर्गत पात्र स्टार्टअप इकाइयों को संवितरित सीड कैपिटल/विपणन सहायता (Marketing Assistance) की कॉर्पस फण्ड को प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852072021700 (उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन)	27 (सब्सिडी)	60,00,00,000 रुपये साठ करोड़ मात्र	60,00,00,000 रुपये साठ करोड़ मात्र	2,97,87,500 रुपये दो करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र	2,97,87,000 रुपये दो करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र	57,02,13,000 रुपये सत्तावन करोड़ दो लाख तेरह हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 2,97,87,500	₹ 2,97,87,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852072021400 (उ.प्र. स्टार्ट-अप नीति-2020 का कार्यान्वयन)	27 (सब्सिडी)	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,97,87,500 रुपये दो करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र	2,97,87,000 रुपये दो करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र	5,47,87,000 रुपये पाँच करोड़ सैंतालीस लाख सत्तासी हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 2,97,87,500	₹ 2,97,87,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक "2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-17-उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्टअप नीति का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी" मद के अन्तर्गत धनराशि रु 297.875 लाख की बचत संभावित है एवं लेखाशीर्ष "2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-14-उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी" मद में वर्तमान के दृष्टिगत धनराशि रु0 297.875 लाख का अतिरिक्त व्यय सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- उक्त तालिका के स्तम्भ-10 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

अनुदेश

1. प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में भारित अंकित कर दिया जाय।

2. जिन लेखाशीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उसका वर्णन ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

3. कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष के अंतर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाये।

4. प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

संख्या:RE-budget-1-262-E-6-127-X-2025-26-दिनांक: 30-01-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद

नेहा जैन
विशेष सचिव

शैलेन्द्र कुमार राय
अनु सचिव

संख्या :1942/78-61-25 दिनांक- 02 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से

नेहा जैन
विशेष सचिव